न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या ::– 96/2018

1. श्री गणपतसिंह पिता फोजसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/1– पप्पुसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/2– दौलतसंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/3– मु.श्यामकंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   हाल मु. पत्नि गंगासिंह जी राजपूत निवासी गोगास पो.कोटडी
   1/4– मु. चन्दाकंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   हाल मु. पत्नि स्व. किानसिंह जी राजपूत नि0 नाहरगढ पो. खेजडी
   1/5– मु.दुर्गाकंवर बेवा गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडोखेडा

वादीगण

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता माधू जी ब्राम्हण निवासी सुठेपा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
3. श्री भूमिधारी अधिकरी महोदय जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ
4. ग्राम पंचायत मोतीपुरा जरिये सरपंच महोदय मोतीपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण
श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 18.06.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बडाखेडा पटवार हल्का मोतीपुरा तह. बेगूँ में वादी के पिता फौजसिंह जी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित होकर जिसके खाता संख्या 34 होकर आराजी नम्बर की तफसील निम्न प्रकार है :–

आराजी नम्बर	रकबा
48	1बीघा 14 बिस्वा
49	3बीघा 09 बिस्वा
61	1बीघा 14 बिस्वा
62	1बीघा 18 बिस्वा
63	2बीघा 11 बिस्वा
64	13 बिस्वा
98	3बीघा 05 बिस्वा
158	5बीघा 12 बिस्वा
159	6बीघा 18 बिस्वा
165	14बीघा 10बिस्वा
कीता–10	कुल रकबा 42बीघा 04 बिस्वा

यह कि वादी के पिता फौज सिंह पिता नाहर सिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत से खाता इन्तकाल नं. 44 से वादी गणपतसिंह व उसकी माता लाडकुंवर बेवा फौजसिंह के नाम पर सम्वत 2035 में खोला गया। तभी से लेकर आज तक वादी उक्त आराजी पर निरन्त काबीज हो वेरोक टोक काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि सम्वत 2038 में प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल ने प.ह. पटवारी व ग्राम पंचायत मोतीपुरा के सरपंच से साठ गांठ कर बिना किसी विधिक दस्तावेज के जिसका कोई असतित्व ही नहीं है के आधार पर इन्तकाल नं0 60 खोल कर प्रतिवादी सं. 1 को आराजी नं. 165 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार के रूप में अंकन कर दिया गया। जबकि नामान्तरण सं. 60 के कॉलम

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

5 में वादी और उसकी माता दोनो को बतौर संयुक्त खातेदार दर्शाया गया और प.ह. पटवारी यह कानूनी जानकारी होते हुए भी कि संयुक्त खातेदारी आराजीयात पर प्रत्येक खातेदार का बराबर बराबर हिस्सा होता है ओर बगैर विधिवत बटवाडा हुए आराजीयात के कोई खातेदारी किसी विशेष आराजी नं. का विकय नहीं कर सकता फिर भी बिना किसी अधिकार के बगैर किसी विधिक दस्तावेज के (रजिस्टर्ड विकय पत्र) नपामान्तरण को निर्मित करने में भूल की है तथा ग्राम पंचायत मोतीपुरा ने भी ऐसे नामान्तरण को बिना कोई कोरम किये व बिना प्रस्ताव के स्वीकृत करने में भारी भूल की है।

यह कि पटवार हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 60 के कॉलम नं. 14 में विकाव रजिस्टर्ड तादादी व स्टाम्प नं. अंकित होरक न तो किसी विकय दिनांक का उल्लेख किया ना ही पंजीकरण सं. पंजिकृत स्थान आदि का उल्लेख किया, इस प्रकार बिना किसी विधिक दस्तावेज के अभाव में कूट रचित एवं अवैध दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में नामान्तरण खोला कर प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित कर दिया जो कानूनन गलत है, इसलिए आराजी सं. 165 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा की वादी अपने नाम पर खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए घोषणा आराजीयात बाबत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल आराजी नं. 165 अपने पर खातेदारी होने के आधार पर उक्त आराजी को अन्य किसी अन्जान व्यक्ति को विकय कर खुर्द बुर्द करना चाहता है जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है न ही उसके पास भोतिक आधार पर कब्जा ही है। केवल मात्र प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर खातेदारी आराजी होने का फायदा उठा कर वादी को नुकसान पहुचाना चाहता है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवह वाद वर्णित आराजी सं. 165 को किसी प्रकार से रहन बय बक्षिस इत्यादि नहीं करे न करावें और नही वादी के नाबाद कब्जे में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ही करें न अपने नौकार ऐजेन्ट व रिश्तेदार आदि से करावें।

यह कि वाद कारण दिनांक 30.6.05 को ना.सं. 60 के निर्णित होने की जानकारी होने से वादी द्वारा अपील नामान्तरण पेश की जिसमें न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय बेगूँ द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मोतीपुरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब में ग्राम पंचायत मोतीपुरा द्वारा प्रार्थी /वादी गणपतसिंह पिता फोज सिंह राजपूत निवासी बडाखेडा के नामान्तरण की पत्रावली ग्राम पंचायत मोतीपुरा दिनांक 20.1.82 को कोरम नहीं हुआ था इस सम्बन्धित पत्रावली नहीं है दिनांक 24.7.2007 न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ को प्राप्त होने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी सं. 2 व 3 राजस्थान सरकार व भूमिधारी अधिकारी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है, व प्रतिवादी सं. 4 ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की दाद नहीं चाहते है लेकिन नामान्तरण सं. 60 ग्राम पंचायत मोतीपुरा द्वारा स्वीकृत करने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। चुंकि ग्राम पंचायत को न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूँ से कारण बताओं जारी होने से ग्राम पंचायत मोतीपुरा को जानकारी होने से व ग्राम पंचायत से कोई दाद नहीं चाहने के कारण धारा 109 राजस्थान पंचायत अधिनियम का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

यह कि वाद वर्णित आराजीयात ग्राम बडाखेडा तह. बेगूँ में स्थित होने से वाद पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

यह कि वाद वादी निम्नानुसार डिकी फरमाया जावें:-

(क) कि विवादित आराजी नं. 165 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल के नाम से निरस्त की जाकर वादी गणपतसिंह के नाम खातेदारी की घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवह वाद वर्णित विवादित आराजी सं. 165 को किसी प्रकार से रहन बय बक्षिस इत्यादि नहीं करें न करावें और न ही वादी के नाबाद कब्जे में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ही करें न अपने नौकर ऐजेन्ट व रिश्तेदार आदि से करावें।

(ग) कि और कोई दाद जो बहक वादी हो व विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 हो वादी को प्रदान की जावें।

वादीगण का वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पूर्व में,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया व जवाब दावा प्रस्तुत किया इसके पश्चात पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्त श्री विजयप्रकाश शर्मा उपस्थित आए तथा अपना अधिकारी पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए जवाब में निम्नानुसार निवेदन किया गया :–

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि वादी कलम सं. 1 में वर्णित कृषि आराजीयात को राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित करें। वाद पत्र की कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि नामान्तरण सं0 44 कैसे खुला उसको दस्तावेज से वादी प्रमाणित करें किन्तु वाद वर्णित आराजीयात में से आराजी नं0 165 वादी के कब्जे एवं स्वामित्व नहीं होकर प्रतिवादी सं0 1 के स्वामित्व व कब्जे में है।

यह कि वाद पत्र की कलम सं0 3 गलत होकर अस्वीकार है। पटवार हल्का द्वारा नामान्तरण सही खोला गया एवं उसके संबंध में वादी ने अपील प्रस्तुत की वह भी खारिज हो चुकी है यदि वादी यह मानता है कि प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अवैध है तो उसे सक्षम न्यायालय में निरस्त कराने का वादी को अधिकार था । चूंकि उसकी समयावधि व्यतीत हो गई इसलिए यह राजस्व वाद वादी ने प्रस्तुत किया है जो चलने योगय नहीं है। शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि नामान्तरण संख्या 60 में क्या लिखा है एवं क्या लिखना चाहिए इस संबंध में वादी उसकी अपील कर चुका है एवं वह अपील खारिज हो चुकी है इसलिए वादी को अब उन्हीं विन्दु पर पुनः वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र स्वयं वादी के द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है इसलिए उस दस्तावेज को अब वादी अवैध एवं कूटरचित बतावे यह कानूनन संभव नहीं है। यही नहीं वादी की प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण पंजीवद्ध कराने का भी अधिकार था वादी स्वयं 165 का विक्रेता है जिसे 34 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है अब वादी घोषणा का वाद लाया है वह स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं दुर्भावना पूर्ण आशय से प्रस्तुत किया गया है। वादी की अपील नामान्तरण को फैसल हुए भी 5 वर्ष हो गये इस प्रकार वादी का वाद किसी भी स्थिती में अब पोषणीय नहीं है। वादी को वाद घोषणा का प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्यो कि वादी स्वयं आराजी नं0 165 का विक्रेता है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है वादी को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 6 का जवाब इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा नामान्तरण पत्रावली के संबंध में क्या उल्लेख आया उसका इस प्रकरण में कोई प्रभाव नहीं रहता है। वादी को 20.01.82 को नामान्तरण कार्यवाही के सबंध में कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है, क्यो कि वादी स्वयं नामान्तरण वर्णित विक्रय पत्र का निष्पादनकर्ता है। दिनांक 24.07.2007 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 7 के अनुसार प्रतिवादी सं0 2 व 3 को कोई धारा 80 व्य. प्र.सं. का नोटिस दिया गया इसका उल्लेख इस कलम में नहीं किया गया है इसके अलावा यह कलम वादी की विधिक आपूर्तियो से संबंधित होने से इनके जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कि वादपत्र की कलम सं0 8 गलत होकर अस्वीकार है। विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होने से वाद वादी पोषणीय नहीं है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 9 गलत होकर अस्वीकार है। वाद वादी दिनांक 20.01.82 से मियाद बाहर है यही नहीं वादी का वाद न्यायशुल्क के भार से बचने के लिए राजस्व न्यायालय में वाद पेश किया है। कलम संख्या 10 के जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 11 गलत होकर अस्वीकार है। वाद वादी खारिज होने योग्य है। वादी का वाद पोषणीय नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में वर्णित है।

प्रतिवादी ने अपने जवाब के विशेष कथन में निवेदन इस प्रकार से किया है :–

1– यह कि वाद श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से वाद वादी पोषणीय नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बून्दी (राजस्थान)

यह कि वादी निबंधन के सिद्धांत से वाद लाने के लिए प्रतिबंधित है इसलिए भी वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

3– यह कि वादी चूंकि नामान्तरण अपील में असफल हो गया है इसलिए वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

4– यह कि वादी नामान्तरण अपील में जिन विन्दुओं को उठा चुका है एवं जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णय प्रदान किया जा चुका है उन पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता है।

अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार के रूप में तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए किन्तु उन्हें जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर कोई ज़वाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब दावा प्रतिवादी सं0.2 व 3 का न्यायालय द्वारा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही न्यायलाय द्वारा की गई है।

इस प्रकार दावा पत्रावली मे प्रतिवादी सं1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तु होने पर निम्नलिखित तनकी पत्रावली में कायम की गई :–

1– आया कि मौजा बडाखेडा प0ह0 मोतीपुरा की वादवर्णित आराजी कीता–10 कुल रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा मे से आराजी संख्या 165 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 कन्हैयालाल का नाम निरस्त कर गणपतसिंह के नाम खातेदारी घोषित कराने के वादी अधिकारी है? वादीगण

2– वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है? वादीगण

3– आया कि वाद राजस्व न्यायलय के श्रवणाधिकार का न होकर सिविल न्यायलय के अधिकार का हैं। प्रतिवादी

4– वादी विबंधन के सिद्धान्त से वाद लाने के लिए प्रतिबंधित है? दावा खारिज योग्य है? प्रतिवादी

5– दादरसी ?

पत्रावली में उपरोक्त तनकी पत्र कायम किया जाकर प्रकरण मे वादीगण को साक्ष्य वादी प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया। पत्रावली में वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण में वादी पप्पुसिंह पिता गणपतसिंह गवाह रामदास पिता गुलाब दास वैष्णव एव नंदा पिता नारायण जी गुर्जर तथा हीरादास पिता मांगीदास वैष्णव निवासी बडाखेडा का प्रस्तुत किया गया। वादी पप्पुसिंह पिता गणपतसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र वाद पत्र के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया मुख्य परीक्षण के दौरान वादी पप्पुसिंह द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी में बताया कि मै अनपढ हूँ, कन्हैयॉलाल के खिलाफ दावा पेश किया है और किसी और के खिलाफ नहीं है। तथा यह कहना गलत है कि आराजी नम्बर 165 पर कन्हैयालाल का कब्जा है, आराजी नं0 165 पर मेरा कग्ब्जा है। मेरे पिताजी ने कन्हैयॉलाल को बेचा हो तो मै नहीं जानता , अजखुद कहा कि नहीं वेचा। मेरे पिताजी दस्तखत करते थे। मेरे पिता जी के दस्तखत मै नहीं पहचानता हूँ। दावे पर हस्ताक्षर किसके है मै नहीं पहचानता हूँ। मेरे पिता जी के हस्ताक्षर पहचान सकता हूँ। वादी ने अधिकांश अपनी जिरह में नहीं जानता हूँ का कथन किया है तथा यह भी बताया कि कन्हैयालाल की रजिस्ट्री को मेरे पिता जी ने खारिज कराने का दावा किया था बेगूँ कोर्ट में वकील सा. ने किया। देवेन्द्र सिंह जी वकील साहब ने किया। जिरह में बताया कि सिविल के कोर्ट के दावे में 1/2 की जीत हुई है। यह जीत कैलाश मंत्री वकील साहब के पास जो फाईल है उसमें हुई । कैलाश मंत्री एडवोकेट ने किया, मेने उनसे नहीं पूछा कि कौन से वर्ष में किया। सिविल कोर्ट के दावे के नकल को देने के लिए कैलाश मंत्री एडवोकेट को कोई नोटिस नहीं दिया । हमने थाने में भी कार्यवाही की थी क्या हुआ मुझ पता नहीं। हमने जो रजिस्ट्री को निरस्त कराने का दावा किया था उसमें एक बार तो रजिस्ट्री खारिज हो गई थी, खारिज होने का कागज मेरे पास नहीं है। वाद मे कहा कि मेरे पिता जी जमीन को प्रतिवादी कन्हैयालाल के गिरवी रखी थी, फिर कन्हैयालाल ने वाद में बताया कि मेरे तो जमीन बेचान की रजिस्ट्री हो गई।

इसी प्रकार वादी गवाह हीरादास पिता मांगीदास ने मुख्य परीक्षण के वक्त अधिवक्ता प्रतिवादी की जिरह में बताया कि मैने फोज सिंह को देख है जिनको शांत हुए करीब 35 वर्ष हो गये। गणपतसिंह जी ने प्रतिवादी कन्हैयालाल को कौनसी आराजी का विक्रय किया यह मै नहीं बता सकता। मैने कन्हैयालाल को कभी वहां नहीं देखा हमेश यादी को ही देखा। विवादित आराजीयात

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

मान मे पप्पूसिंह वादी का दस बीघा पर कब्जा है। वादीगण का कब्जा किस किस आराजी पर है मै नहीं जानता हूँ। विवादित जमीन के सम्बन्ध में मेरी कभी भी गणपतसिंह जी को कोई नहीं हुई।

इस प्रकार पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से श्य हेतु साक्ष्य शपथ प्रतिवादी कन्हैयालाल पिता माधु जी ब्राम्हण निवासी सुठेपा तहसील ण्डलगढ जिला भीलवाडा का प्रस्तुत किया गया। मुख्य परीक्षण में में प्रतिवादी से अधिवक्ता ादीगण द्वारा जिरह किये जाने पर प्रतिवादी ने बातया कि मेरी उम्र 85 वर्ष है। मैने जो जगह (जमीन) खरीदी उसकी रजिस्ट्री पेश हैं पत्रावली देख कर गवाह ने कहा कि रजिस्ट्री की प्रति नहीं है। मैने उक्त विवादित जमीन गणपतसिंह से खरीदी थी। गणपतसिंह से जमीन कौन से सन मे खरीदी याद नहीं है। लेकिन लगभग 50 वर्ष हो चुके है। ये मुझे ध्यान नहीं है कि जमीन खरीदते समय गणपतसिंह के पिता जिन्दा थे या मर गये। फौज सिंह जी कब मेरे मुझे ध्यान नहीं है। यह मालुम नहीं है क जब मैने जमीन खरीदी थी तब गणपतसिंह व उनकी माता का खाता शामलाती था। प्रदर्श डी–1 कागज किसी बात का पेश किया मेरी यादास्त नहीं है। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन अभी पडत पडी है।

पत्रावली में साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादी की पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि फौजसिंह जी की मृत्यु पश्चात विरासत का इन्तकाल खुला । प्रदर्श–4 संवत 1938 प्रतिवादी 1 कनहैयालाल ने बिना किसी विधिक दस्तावेज के म्युटेशन खुलवा लिया रजिस्ट्री लिखकर कब्जा दिया हो नामानतरण खुलाया ऐसी रजिस्ट्री कभी हुई नहीं। कब, किस तहसील मे पंजीयन कराया गया उसका कोई उल्लेख नहीं है, ना ही विक्रय पत्र न्यायालय में पेश हुआ। विवादित आराजी का आराजी नम्बर 165 है। 20.1.82 को कोरम नही हुआ था प्रदर्श–6, जवाब पंचायत का । इन्तकाल नं0 60 की अपील खारिज हुई प्रदर्श–डी–2 1982 मे गणपत सिंह जी के पिता फौज सिंह जी जिंदा थे या नहीं? यह स्पष्ट नहीं किया है, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी नं. 165 की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल के नाम से निरस्त की जाकर वादी गणपतसिंह के नाम खातेदारी की घोषित की जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रवितादी ने अपनी बहस को जवाब दावा के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि रजिस्ट्री संलग्न नहीं है। वर्ष 2007 मे मेरी कोर्ट से अपील निर्णित हुई थी, वर्ष 1977 का विक्रय पत्र है कोपी हमारे पास नहीं है। एक भी जमावंदी पेश नहीं की जिसमें आपका नाम आया हो। विवादित आराजी संख्या 165 पर हम काविज है। प्रदर्श–डी1 पप्पूसिंह ने बयान में बाताया कि 1977 की होने से प्रमाणित प्रति नहीं मिल पा रही है। निवेदन है कि जिस विवादित आराजी के लिए वादीगण दावा लेकर आये है वह मुझ प्रतिवादी के खातेदारी की व कब्जे की भूमि जो कि मेरे द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई थी, वादीगण अपने कथन से मुकर नहीं सकते है, वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सभी दस्तावेज के गहन अवलोकन एवं उनके गुणावगुण के आधार पर पत्रावली मे कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण मौजा बडाखेडा प.ह.मोतीपुरा के आराजी संख्या 165 की खातेदारी से प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल का नाम निरसत करा गणपतसिंह के नाम खातेदारी घोषित कराना चाहत है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उनमे प्रदर्श–1 नकल नामान्तरण संख्या 60 की प्रस्तुत की है, उक्त नामान्तरण का अवलोन किया जाने पर पाया कि उक्त नामान्तरण विक्रय रजिस्टर्ड तादादी रूपये 7500/–से हुआ है। खातेदार श्री गणपसिंह पिता फौजसिंह मु लाडकंवर बेवा फौजसिंह राजपूत

अपने खातेदारी की कृषि आराजी मे से आराजी संख्या 165 रकबा 14बीघा 10 बिस्वा भूमि को क्रय किया जाने से यह नामान्तरण खोला जाकर ग्राम पंचायत मोतीपुरा के सरपंच जगन्नाथसिंह राणावत ने दिनांक 20.1.82 को प्रमाणित किया है। इस दस्तावेज से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस विवादित कृषि आराजी संख्या 165 से वादीगण प्रतिवादी सं. 1 कन्हैयालाल का नाम हटवाना चाहते है वह कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 कन्हैयालाल द्वारा जरिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादीगण के पिता गणपतसिंह से खरीद की थी उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर ही यह नामान्तरण खोला गया है। वादीगण द्वारा प्रदर्श– 2 भूप्रबन्ध विभाग की खतोनी जमाबंदी सम्वत 2028 की नकल प्रस्तुत की है जिसमें फोजसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के खाते में मौजा बडाखेडा की आराजी संख्या 48, 49, 61, 62, 63, 64, 68, 158, 159, 165 कीता–10 कुल रकबा 42 बीघा 4बिस्वा भूमि दर्ज अंकित है। इस प्रकार नकल जमाबंदी मौजा बडाखेडा की सम्वत 2038 की प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है जिसमें भी उक्त आराजी श्री फोजसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श–4 नकल नामान्तरण संख्या 44 की प्रस्तुत की है, यह नामान्तरण विरासत से खोला गया है। खातेदार श्री फोजसिंह की मृत्यु पश्चात फोजसिंह के खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात मौजा बडाखेडा के लिए उक्त नामान्तरण उनके पुत्र श्रीगणपतसिंह पिता फोजसिंह व मु. लाडकंवर बेवा फोजसिंह राजपूत सा.देह हि.ब. के नाम पर खोला गया हैं। प्रदर्श–5 न्यायालय द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मोतीपुरा को नामान्तरण संख्या 60 मौजा बडाखेडा निर्णय दिनांक 20.1.82 से सम्बन्धी पत्रावली न्यायालय में नहीं भिजदाने के लिए न्यायालय द्वारा सचिव से स्पष्टीकरण बताने के लिए लिखा गया पत्र की नकल है। प्रदर्श–6 में सचिव द्वारा कोरम नहीं होने के सम्बन्ध में दिया गया स्पष्टीकरण का पत्र है।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जिन्हें वक्त बयान प्रदर्श कराया गया उनमें प्रदर्श–डी–1 ईकरार नामा पप्पुसिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजूपत निवासी बडाखेडा के द्वारा द्वितीय पक्ष प्रकाशचन्द्र के पक्ष में लिखा गया है जिसमें "मै प्रथम पक्षकार आज दिनांक 23.11.15 को श्री प्रकाश पुत्र कन्हैयांलाल शर्मा को लिखित में रूबरू मौतबीरान ईकरार करता हूँ कि आज दिनांक के बाद मै या मेरा परिवार का कोई भी सदस्य न तो पानी रोकेगा और न ही इनके खेत पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगें मै प्रथम पक्षकार आप द्वितीय पक्षकार के खेत पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाउगा मै इनके खेत में मवेशी भी नहीं पहुचाउगा मै यह इकरार विना नशे पते पूरे होशो हवाश में लिखा है जो वक्त जरूरत काम आवें। दिनांक 23.11.15 प्रदर्श–डी–2 नकल निर्णय दिनांक 14.9.2007 अपील संख्या 2/2005 व अनवान गणपतसिंह बनाम श्री कन्हैयॉलाल वगे अपील नामान्तरण संख्या 60 मौजा बडाखेडा की सत्यप्रति प्रस्तुत की है। यह अपील अपीलान्ट गणपतसिंह द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट कन्हैयालाल के पक्ष में खोले गये नामान्तरण संख्या 60 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपील सिद्ध नहीं होने से खारिज किया है। नकल नामान्तरण संख्या 60 का उल्लेख उपर किया जा चुका है। इस दावा पत्रावली में एक छायाप्रति पंजीकृत विक्रय विलेख की अप्रमाणित प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, इस विक्रयपत्र में गणपतसिंह पिता फौजसिंह राजपूत द्वारा मौजा बडाखेडा की उनके खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 165 रकबा 14बीघा 10बिस्वा का विक्रय कन्हैयांलाल पिता माधुलाल ब्राम्हण निवासी सुठेपा तह. कोटडी जिला भीलवाडा को तादादी राशि 7500/– में किया है। यह खत उप पंजियन बेगूं द्वारा पंजीकृत दिनांक 12.5.1977 को किया गया है।

इन सभी दस्तावेज के गहन अवलोकन व उनके उल्लेख किये जाने से मामला पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि वाद वर्णित विवादति कृषि आराजी मौजा बडाखेडा की आराजी संख्या 165 रकबा 14बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि खातेदार गणपतसिंह पिता फोजसिंह राजपूत के खातेदारी की कृषि भूमि थी को गणपतसिंह जी ने दिनांक 12.5.1972 को प्रतिवादी श्री कन्हैयांलाल पिता माधुलाल ब्राम्हण को तादादी राशि 7500 रूपये मे पंजीकृत विक्रय कर दिया, इस विक्रय के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे नामान्तरण संख्या 60 खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया, इस खोले गये नामान्तरण संख्या 60 के विरूद्ध अपील भी वादी गणपतसिंह द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो खारिज की गई क्या कि वह अपनी कृषि भूमि का पंजीकृत विक्रय कर चुके थे। वादी गणपतसिंह द्वारा विक्रय की गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री को सिविल न्यायालय मे खारिज कराने हेतु

नाराजोही नहीं की गई ,क्यो कि इस पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया वर्तमान में प्रतिवादी कन्हैयालाल विवादित कृषि आराजी संख्या 165 रकबा 14 बीघा 10बिस्वा भूमि के खातेदार है तथा उनका कब्जा होना भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–डी–1 ईकरारनामा से पाया जाता है।

वादीगण एवं विद्ववान अधिवक्ता वादीगण इस बात से इन्कार नहीं कर सकते है कि किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोला गया खाता जब तक पंजीकृत दस्तावेज निरस्त नहीं हो जाता है तब तक इस राजस्व न्यायालय द्वारा उसे खारिज किये जाने का अधिकार नहीं होता है। यानि पंजीकृत विक्रय विलेख जो इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही निष्पादित किया जाकर उसकी पालना करली गई है तो उसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता गणपतसिंह जी द्वारा वाद वर्णित भूमि का पंजीकृत विक्रय किया गया तथा अब उस पंजीकृत विक्रयपत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बगैर ही वह यह दावा लाये है, जिससे विबंधन के सिद्धान्त से वाद प्रतिबंधित है। वादीगण द्वारा या उनके पिता के द्वारा लिखित पंजीकृत विक्रय विलेख से मुकरा नहीं जा सकता है। इन सभी दस्तावेज के आधार पर वादीगण वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा बडाखेडा की आराजी संख्या 165 से प्रतिवादी कन्हैयालाल का नाम हटाकर भूमि गणपतसिंह के नाम पर दर्ज कराने की घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है साथ ही प्रतिवादी सं. 1 खातेदार है उन्हें वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का भी अधिकार नहीं रखते है। इस प्रकार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नं0 3 व तनकी नं. 4 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवदी सं. 1 का है। जैसा कि तनकी नं. 1 में विस्तृत उल्लेख करते हुए सभी दस्तावेज पर प्रकाश डालते हुए निर्णय किया है जिससे वादीगण अपने पक्ष की तनकी को सिद्ध कराने में दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से पूर्णतया असफल रहे है। जैसा कि तनकी नं0 1 मे न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वाद प्रस्तुत किए जाने से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज यथा (रजिस्ट्री) को सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना ही यह दावा इस राजस्व न्यायालय में वादीगण लाये है, जो कि कानून विरूद्ध है क्यो कि इस न्यायालय को पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही वादीगण के पिता द्वारा जब पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा प्रश्नगत भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 को कर दिया तथा उसकी पालना में खाता भी प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में खोला जा चुका है तो वादी विबंधन के सिद्धान्त से भी वाद लाने के लिए प्रतिबंधित पाये जाते है। इस प्रकार यह दोनो ही तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रहे है, जबकि प्रतिवादीगण के पक्ष की तनकी नं0 3 व 4 उनके पक्ष में निर्णित की गई है जिससे वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया

(महावीर [illegible])
उपखण्ड कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

ावा संख्या ::– 96/2018

1. श्री गणपतसिंह पिता फोजसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/1– पप्पुसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/2– दौलतसंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   1/3– मु.श्यामकंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   हाल मु. पत्नि गंगासिंह जी राजपूत निवासी गोगास पो.कोटडी
   1/4– मु. चन्दाकंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडाखेडा
   हाल मु. पत्नि स्व. किनसिंह जी राजपूत नि0 नाहरगढ पो. खेजडी
   1/5– मु.दुर्गाकंवर बेवा गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बडोखेडा

वादीगण

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पिता माधू जी ब्राम्हण निवासी सुठेपा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
3. श्री भूमिधारी अधिाकरी महोदय जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ
4. ग्राम पंचायत मोतीपुरा जरिये सरपंच महोदय मोतीपुरा

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–188 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा की उपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.06.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ